ए.

छोटानबेन और ए. एन. आर.

बनाम

किरीटभाई जलक्रुष्णाभाई ठाकर और ओआरएस। (2018 की सिविल अपील सं. 3500)

बी.

अप्रैल 10,2018

[दीपक मिश्रा**,** मुख्य न्यायाधीश **,** ए**.** एम**.** खानविलकर और डॉ**.** डी**.** वाई**.** चंद्रचूड़**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

सी.

आदेश VII,आर. 11 (डी)-घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा-इसमें यह आरोप लगाते हुए कि मुकदमे की संपत्ति प्रतिवादियों (सह-मालिकों) द्वारा वादी की जानकारी के बिना और उनके जाली हस्ताक्षर करके हस्तांतरित की गई थी-आवेदन यू/ओ. VII,आर. 11 (डी) प्रतिवादियों द्वारा इस आधार पर वाद की अस्वीकृति के लिए कि वाद को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था-आवेदन को निचली विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था-संशोधन में उच्च न्यायालय ने निचली विचारण न्यायालय के आदेश को उलट दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाःआवेदन यू/ओ. वी. आई. आई. तय करने का आधार,आर. 11 (डी) वाद में अभिकथन हैं (समग्र रूप से पढ़ें) और लिखित कथन में बचाव या याचिका आधार नहीं हो सकती है-वाद और दावा की गई राहत में अभिकथनों को देखते हुए, सीमा का मुद्दा एक परीक्षण योग्य मुद्दा है-इसलिए, वाद को यू/ओ. VII के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, सीमा पर खारिज नहीं किया जा सकता है।आर. 11 (डी)।

डी.

ई.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** अपीलार्थियों **(**वादियों**)** ने जोर देकर कहा है कि **2013** तक उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति के संबंध में पंजीकृत बिक्री विलेख के निष्पादन के बारे में कोई

जानकारी नहीं थी।इसके अलावा**,** उन्होंने पंजीकृत बिक्री विलेख पर अंगूठे के छाप को अपना होने से इनकार किया है और जालसाजी और प्रतिरूपण का आरोप लगाया है।वाद और दावा किए गए राहतों में किए गए कथनों की समग्रता के संदर्भ में**,** अनुच्छेद **56,58,59,65** या **110** या सीमा अधिनियम के किसी अन्य अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होगा**,** इस पर उचित स्तर पर विचार किया जा सकता है।**[**पैरा **11] [431-**ई**-**एफ**]**

एफ.

जी.

2. आदेश **VII** नियम **11 (**डी**)** के तहत आवेदन के संदर्भ में मुद्दे में मामले का जवाब देने के लिए जो प्रासंगिक है**,** वह है

एच.

422 ए.

423

चोतानबेन और ए. एन. आर. बनामकिरीटभाई जलक्रुष्णाभाई ठाकर और ओआरएस।

वाद में किए गए कथनों की जांच करें।शिकायत को समग्र रूप से पढ़ने की आवश्यकता है। प्रतिवादियों के लिए उपलब्ध बचाव या लिखित बयान में उनके द्वारा ली गई याचिका या उनके द्वारा दायर कोई भी आवेदन**,** आदेश **VII** नियम **11 (**डी**)** के तहत आवेदन पर निर्णय लेने का आधार नहीं हो सकता है।केवल वाद में दिए गए कथन स्पष्ट हैं।**[**पैरा **12] [431-**जी**]**

बी.

3. वर्तमान मामले में**,** अपीलार्थियों **(**वादियों**)** ने जोर देकर कहा है कि मूल प्रतिवादी संख्या **1** और **2** द्वारा निष्पादित धोखाधड़ी बिक्री विलेख के बारे में जानकारी प्राप्त करने के तुरंत बाद मुकदमा दायर किया गया था**,** जिसमें उन्हें इस तरह के निष्पादन के बारे में अंधेरे में रखा गया था और मूल प्रतिवादी **Nos.1** और **2** द्वारा इनकार करने के दो दिनों के भीतर अपीलार्थियों की पैतृक संपत्ति के उपयोग और कब्जे के शांतिपूर्ण आनंद में बाधा डालने से बचना था। वर्तमान मामले के तथ्यों में सीमितता द्वारा रोके गए मुकदमे के संबंध में मुद्दा एक विचारणीय मुद्दा है और इस कारण से आदेश **VII** नियम **11 (**डी**)** के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए शिकायत को खारिज नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **16] [434-**ए**-**सी**]**

सी.

डी.

सलीम भाई और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और

अन्य (2003) 1 एस. सी. सी. 557:[2002] 5 पूरक।एससीआर 491;

मायार (एच. के.) लिमिटेड और अन्य बनाम मालिक और दल, पोत एम. वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस और अन्य (2006) 3 एस. सी. सी.

100 :[2006] 1 एस. सी. आर. 860; और टी. अरिवंदम बनाम टी. वी. सत्यपाल और एक अन्य (1977) 4 एस. सी. सी. 467:[1978] 1 एस. सी. आर. 742-पर निर्भर।

ई.

चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पोन्नियममैन एजुकेशनल ट्रस्ट

(2012) 8 एससीसी **706:[2012] 6** एस**.** सी**.** आर**. 404-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

एफ.

[2002] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 491** पर निर्भर

पैरा **13**

[2006] 1 एससीआर **860**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **13**

[1978] 1 एससीआर **742**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **13 [2012] 6** एस**.** सी**.** आर**. 404** पैरा **14** को संदर्भित करता है।

जी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2018 की सिविल अपील सं. 3500।

एच.

424

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 3 एस सी आर।

ए.

2016 के सिविल संशोधन आवेदन संख्या 76 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 13.01.2017 के निर्णय और आदेश से।पूर्वीश जितेंद्र मलकान, सुश्री धरिता पूर्वीश मलकान, सुश्री दीपा गोरसिया, भास्कर सिंह, सुश्री रूमी चंदर, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।गौरव अग्रवाल, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे. 1.यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, 2016 के सिविल संशोधन आवेदन No.76 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के 13 जनवरी, 2017 के फैसले और आदेश को अपवाद मानती है।

सी.

2. अपीलार्थियों ने 18 अक्टूबर, 2013 को प्रधान वरिष्ठ दीवानी न्यायालय, आनंद के समक्ष प्रत्यर्थियों के खिलाफ घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया, जो 2015 का नियमित दीवानी मुकदमा No.166 (पुराना सं. 2013 का विशेष सिविल सूट No.193)।विषय मुकदमे की रूपरेखा इस दावे पर है कि अपीलार्थियों और मूल प्रतिवादी संयुक्त स्वामित्व में थे और उनके पूर्ववर्ती (पिता), मृतक बावमिया कमालुद्दीन सैयद से विरासत में मिली पैतृक संपत्ति के कब्जे में थे, जिसमें सर्वेक्षण No.113/1 + 2, क्षेत्र H.1-37-59 आरा, अकार Rs.15-81 पैसे थे।वह भूमि मौजे गाँव, हदगुड तालुका और जिला आनंद में स्थित पुरानी कृषि भूमि है।उक्त पैतृक, संयुक्त, अविभाजित भूमि पर अपीलार्थियों (वादी) और मूल प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 (प्रत्यर्थी Nos.2 से 15 के पूर्ववर्ती) द्वारा संयुक्त रूप से कब्जा कर लिया गया था और उनका उपयोग किया गया था, उनके पिता बावमिया कमालुद्दीन सैयद के निधन के बाद, जो उनके उत्तराधिकारियों की सीधी पंक्ति में थे।जहाँगिरमिया बावमिया कमालुद्दीन सैयद और हुसैनमिया बावमिया कमालुद्दीन सैयद (मूल प्रतिवादी क्रमशः Nos.1 और 2) के नाम अपीलार्थियों के नामों के साथ अधिकारों के अभिलेख में दर्ज किए गए और उस समय से, वे सभी संयुक्त रूप से अविभाजित भूमि के कब्जे और उपयोग में थे।अपीलार्थियों दावा करते हैं कि उनके पास संपत्ति में आधा (आधा) हिस्सा, अधिकार, शक्तियाँ, अधिकार और उपयोग के अधिकार हैं।यह उनका मामला है कि उनकी जानकारी के बिना मूल प्रतिवादी Nos.1 और 2 ने अपने (अपीलकर्ताओं) जाली हस्ताक्षर करने के बाद उक्त भूमि को हस्तांतरित कर दिया।अपीलार्थियों को 18 अक्टूबर, 1996 के पंजीकृत बिक्री विलेख No.4425 के माध्यम से किए गए उक्त लेन-देन के बारे में जानकारी नहीं थी, जो उन्हें अपने समुदाय के सदस्यों से पता चला, जिसके तुरंत बाद उन्होंने आनंद में उप-पंजीयक के कार्यालय में पूछताछ की।यह उन्हें बताया गया कि भूमि पहले से ही ए हो चुकी है

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

425

चोतानबेन और ए. एन. आर. बनामकिरीटभाई जलक्रुष्णाभाई ठाकर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

प्रतिवादी Nos.4,5 और 6 (क्रमशः अनिलभाई जयकृष्णभाई जेराजानी, किरीटभाई जयकृष्णभाई ठक्कर और केकनभाई जयकृष्णभाई ठक्कर) के पक्ष में 18 अक्टूबर, 1996 को एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा हस्तांतरित किया गया।उन्होंने तुरंत पंजीकृत बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया।उन्हें यह भी सूचित किया गया कि जयकृष्णभाई प्रभुदास ठक्कर की मृत्यु हो गई है और इसलिए, प्रतिवादी Nos.3 से 6 को उत्तराधिकारी के रूप में भूमि प्राप्त हुई।इसके बाद यह दावा किया जाता है कि पंजीकृत बिक्री विलेख से उन्हें पता चला कि उनके अंगूठे के निशान भिखांश पिराशा दीवान की उपस्थिति में गवाह के रूप में प्राप्त किए गए थे।उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने किसी भी गवाह के सामने, किसी भी तरह से, इस तरह के किसी भी विलेख पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए थे या अपने अंगूठे का निशान नहीं दिया था।इसके बाद यह कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को बिक्री विलेख पर अंगूठे की छाप डालने के लिए धोखाधड़ी से शामिल किया गया है।उन्होंने जोर देकर कहा है कि बिक्री विलेख पर अंगूठे के निशान उनके नहीं थे और वे अधिकारियों के सामने अपने वास्तविक अंगूठे के निशान प्रदान करके उस तथ्य को साबित करने के लिए तैयार और इच्छुक थे।वादपत्र के पैराग्राफ 4 को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक हो सकता है जो इस प्रकार हैः

बी.

सी.

डी.

“4. पैराग्राफ नं.1 संपत्ति संयुक्त रूप से स्वामित्व, सह-साझा, संयुक्त रूप से उपयोग की जाती है और आवेदकों और उत्तरदाताओं के पास होती है।1 और 2.उत्तरदाताओं की संख्या।1 और 2 को अपने दम पर संपत्ति बेचने का कोई अधिकार नहीं है।यदि उत्तरदाताओं की संख्या।1 और 2 संपत्ति बेचने की इच्छा रखते हैं, उन्हें हमारी सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।यह उत्तरदाताओं की जानकारी में बहुत अच्छी तरह से था।1 और 2 फिर भी उन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति के लिए एक बिक्री विलेख किया है।लेकिन मुकदमे की संपत्ति का वास्तविक कब्जा और उपयोग हमारे द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।दो दिन से पहले, आवेदक उत्तरदाताओं से मिलते हैं और उन्हें भूमि पर इन अधिकारों के बारे में बाधा, उत्पीड़न आदि नहीं

करने के लिए कहते हैं।हमने उत्तरदाताओं से अपने आधे हिस्से को विभाजित करने, भूमि का वास्तविक कब्जा प्रदान करने के लिए कहा, फिर भी उत्तरदाताओं ने इस अनुरोध पर विचार नहीं किया।इसके विपरीत उनके द्वारा यह कहा गया था कि उत्तरदाताओं की संख्या।2 6 तक संपत्ति किसी और को बेच देंगे, अदालतें खुली हैं और हम जो भी कदम उठा सकते हैं वह उठा सकते हैं।"

ई.

एफ.

जी.

3. वादपत्र के पैरा 6 में, अपीलार्थियों ने मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई के कारण के बारे में निम्नलिखित शब्दों में कहा हैः

"6. मुकदमा दायर करने का कारण, जैसा कि उपर्युक्त पैराग्राफ के तहत उल्लेख किया गया है, इस तथ्य से संबंधित है कि उत्तरदाताओं की संख्या।1 और 2 आवेदकों की जानकारी के बिना,

एच.

आवेदक को अंधेरे में रखते हुए, अधिकारों के रिकॉर्ड से आवेदकों का नाम हटा दिया और एक पंजीकृत बिक्री विलेख सं.4425 दिनांकित 18.10.1996 आवेदकों की जानकारी के बिना। उपर्युक्त जानकारी प्राप्त करने पर, आवेदक दो दिन से पहले व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाताओं से मिलते हैं और उनसे बिक्री विलेख को रद्द करने और संपत्ति के स्पष्ट, विपणन योग्य और वास्तविक खाली कब्जे को आवेदकों को सौंपने का अनुरोध करते हैं।फिर भी प्रत्यर्थियों ने अनुरोध पर विचार नहीं किया और उल्लेख किया कि अदालतें हमारे लिए खुली हैं जिससे हमें आवेदकों से वह करने के लिए कहा जाता है जो हम करना चाहते हैं।इसलिए वर्तमान मुद्दा माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बिना गाँव हदगुड में उत्पन्न हुआ है।"

बी.

सी.

4. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा और निम्नलिखित राहतों के लिए मुकदमा दायर किया गयाः

“क) माननीय न्यायालय यह घोषणा करते हुए प्रसन्न होगा कि अनुच्छेद सं.1 मौजे गाँव हदगुड, तालुका और जिला आनंद में स्थित होने के कारण, सर्वेक्षण सं।113/1+2, एरिया हीक्टर 1-37-59 आरा, अकार रु। 15-81 पैसा पुरानी कार्यकाल वाली कृषि भूमि आवेदकों की पैतृक संपत्ति है और इस प्रकार आवेदकों के पास संपत्ति में अविभाजित आधा हिस्सा, हिस्सा, ब्याज और अधिकार है और भूमि का विभाजन न्यायिक तरीके से किया जाना चाहिए और न्याय के हित में आवेदकों को वास्तविक कब्जा, उपयोग आदि प्रदान किया जाना चाहिए।

डी.

ई.

ख) माननीय न्यायालय यह घोषणा करते हुए प्रसन्न हो कि मौजे गाँव हदगुड, तालुका और जिला आनंद, सर्वेक्षण सं। 113/1+2, क्षेत्र वर्ण 1-37-59 आरा, आकार रु। 15-81 पैसे की पुरानी कार्यकाल वाली कृषि भूमि पैतृक, संयुक्त, अविभाजित, संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली और आवेदकों और उत्तरदाताओं की उपयोग की गई संपत्ति है।1 और 2 और इस प्रकार उत्तरदाता संख्या।1 और केवल 2 के पास संपत्ति के स्वामित्व को बेचने या उसमें हस्तक्षेप करने के अधिकार और शक्तियां नहीं हैं और आगे घोषणा करते हैं कि पंजीकृत बिक्री विलेख सं.4425 उत्तरदाताओं के पक्ष में दिनांकित 18.10.1996 संख्या।4 और 6 शून्य और शून्य है, शुरू से ही शून्य, रद्द, गलत और तुच्छ है और इस प्रकार माननीय न्यायालय न्याय के हित में यह घोषित करने के लिए पर्याप्त दयालु है कि उत्तरदाताओं की संख्या।3 6 को इस विशेष बिक्री विलेख के आधार पर भूमि के बारे में किसी भी प्रकार की अधिकार-शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं।

एफ.

जी.

एच.

427

चोतानबेन और ए. एन. आर. बनामकिरीटभाई जलक्रुष्णाभाई ठाकर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

ग) माननीय न्यायालय प्रत्यर्थियों के विरुद्ध और आवेदकों के पक्ष में एक स्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के लिए प्रसन्न होगा, जैसे कि न तो प्रत्यर्थियों और न ही उनके एजेंटों, सेवकों, व्यक्तियों आदि के माध्यम से पैराग्राफ संख्या के तहत उल्लिखित संपत्ति पर बिक्री, बंधक, शुल्क, ग्रहणाधिकार आदि या निर्माण आदि।1 और मौजे गाँव हदगुड, तालुका और जिला आनंद में स्थित, सर्वेक्षण सं। 113/1+2, क्षेत्र वर्ण 1-37-59 आरा, आकार रु। 15-81 पैसा पुराना कार्यकाल कृषि।

बी.

घ) माननीय न्यायालय प्रत्यर्थियों के विरुद्ध और आवेदकों के पक्ष में एक स्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के लिए प्रसन्न होगा, जैसे कि न तो प्रत्यर्थियों और न ही उनके एजेंटों, सेवकों, व्यक्तियों आदि के माध्यम से पैराग्राफ संख्या के तहत उल्लिखित संपत्ति पर आवेदकों के पैतृक, संयुक्त, अविभाजित कब्जे, उपयोग आदि में हस्तक्षेप, बाधा, बाधा आदि।1 और मौजे गाँव हदगुड, तालुका और जिला आनंद में स्थित, सर्वेक्षण सं। 113/1 + 2, क्षेत्र हेक्टेयर 1-37-59 आरा, अकार Rs.15-81 पैसा पुराना कार्यकाल कृषि।

सी.

डी.

ङ) माननीय न्यायालय प्रत्यर्थियों के खिलाफ और आवेदकों के पक्ष में एक स्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के लिए प्रसन्न होगा, जैसे कि न तो प्रत्यर्थियों और न ही उनके एजेंटों, सेवकों, व्यक्तियों आदि के माध्यम से अनुच्छेद संख्या के तहत उल्लिखित संपत्ति के लिए अधिकार प्रविष्टियों के रिकॉर्ड में बदलाव होगा।1 और मौजे गाँव हदगुड, तालुका और जिला आनंद में स्थित, सर्वेक्षण सं। 113/1+2, क्षेत्र हेक्टेयर 1-37-59 आरा, अकार Rs.15-81 पैसा पुराना कार्यकाल कृषि।

ई.

च) माननीय न्यायालय को एक उचित आदेश पारित करने में खुशी होगी जो माननीय न्यायालय द्वारा उचित और प्रभावी पाया गया हो।

एफ.

छ) माननीय न्यायालय प्रत्यर्थियों को मुकदमे के रूप में लागत प्रदान करने का आदेश देता है।"

5. मुकदमा दायर करने के बाद, 19 नवंबर, 2014 को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में "सी. पी. सी".) के आदेश XIII और XVI के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 और 71 के सहपठित पढ़ा गया था, जिसमें प्रतिवादी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए थे, मूल प्रतिवादी द्वारा निष्पादित मूल विलेख, वाद भूमि के संबंध में और अपीलार्थियों के स्वीकृत अंगूठे के छाप प्राप्त करने के लिए और इसे वैज्ञानिक जांच के लिए और सच्चाई को उजागर करने के लिए एक हस्तलेखन विशेषज्ञ द्वारा अंगूठे के छाप की तुलना के लिए भेजा गया था।मूल

जी.

एच.

प्रतिवादी <आईडी1 से 6 ने इसका विरोध करने के लिए 3 फरवरी, 2015 को उक्त आवेदन का जवाब दाखिल किया।इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 5 (प्रतिवादी संख्या 1) ने 17 अप्रैल, 2015 को आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत इस आधार पर वाद को अस्वीकार करने के लिए एक आवेदन दायर किया कि मुकदमा 17 साल बाद दायर किए जाने की सीमा से वर्जित था। अपीलार्थियों ने उक्त आवेदन का जवाब दाखिल किया।आदेश XIII नियम 16 और आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत दोनों आवेदनों का निपटान चौथे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, आनंद द्वारा 20 जनवरी, 2016 को अलग-अलग आदेशों द्वारा किया गया था।वादी (अपीलार्थी) द्वारा दायर आवेदन के संबंध में, न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित करके इसकी अनुमति दीः

बी.

"ओ आर डी ई आर

सी.

एतद्द्वारा आवेदन की अनुमति है।

प्रतिवादियों को पंजीकृत बिक्री विलेख सं. प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।4425 डीटी। 18/10/1996 न्यायालय में और आगे रजिस्टर सिविल न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह नियमों के अनुसार वादी के अंगूठे के निशान का नमूना ले और आगे इस तरह के बिक्री विलेख को वादी के अंगूठे के छाप के नमूने के साथ गवाहों के अंगूठे के निशान पर भेजा जाए। इसके अलावा अंगूठे के निशान विशेषज्ञ को दस्तावेज प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।"

डी.

ई.

6. वादी की अस्वीकृति के लिए प्रतिवादी संख्या 5 (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा दायर आवेदन के संबंध में, उक्त आवेदन को उसी दिन अर्थात् 20 जनवरी, 2016 को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। विचारण न्यायालय ने राय दी कि प्रतिवादी संख्या 5 (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा वाद की अस्वीकृति के लिए आग्रह किया गया तर्क मान्य नहीं था क्योंकि वाद के तथ्य को सीमितता द्वारा वर्जित किया जाना एक विचारण योग्य मुद्दा था, वाद में किए गए कथनों पर विचार करते हुए। विचारण न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

एफ.

"3. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदन पर विचारपूर्वक विचार विद्वान है।वादी ने पंजीकृत बिक्री विलेख संख्या में अपास्त करना के लिए यह मुकदमा दायर किया है।

4425 डीटी।18/10/1996.और यह मुकदमा 18/10/2013 पर दायर किया गया है।और एल. डी. का विवाद। प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता सं।5 कि मुकदमा लगभग 17 वर्षों की देरी के बाद दायर किया गया है और इसलिए मुकदमा प्रथम दृष्टया सीमा कानून और एल. डी. के अन्य प्रस्तुतियों द्वारा वर्जित है। प्रतिवादी का अधिवक्ता सं। 5 कि वादी ए नहीं करते हैं

जी.

एच.

429

चोतानबेन और ए. एन. आर. बनामकिरीटभाई जलक्रुष्णाभाई ठाकर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

यदि प्रथम दृष्टया मामला है, तो इस स्तर पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस मुकदमे को भरने में लगभग 17 साल की देरी हुई है या नहीं और क्या यह सीमा कानून द्वारा वर्जित है या नहीं, यह मुकदमे का विषय है और इसके अलावा, एल. डी. की अन्य प्रस्तुतियाँ। प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता सं।5 वादी के पक्ष में किसी भी प्रथम दृष्टया मामले के संबंध में भी विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये भी मुकदमे का विषय हैं जिन पर साक्ष्य लेने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है।इसके अलावा, आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के समय न्यायालय को केवल वाद में किए गए कथनों पर ध्यान देना होगा और प्रतिवादी द्वारा उठाई गई याचिका या बचाव को आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में ध्यान में नहीं रखा जा सकता है और यहां इस मामले में केवल वाद में अभिवचन को देखते हुए यह सामने नहीं आता है कि सीमित कानून द्वारा वर्जित मुकदमा।इसके अलावा, मैं एल. डी. द्वारा उद्धृत मामले के कानून को विनम्रता से देखता हूं। 2015 (1) जी. एल. एच. 1 के रूप में रिपोर्ट किए गए वादी के अधिवक्ता, हाथ में मामले का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।इसके अलावा, मेरा विनम्र विचार है कि, Ld द्वारा उद्धृत मामला। 2015 (2) जी. एल. एच. 355 और 2013 (1) जी. एल. आर. 398 में रिपोर्ट किए गए प्रतिवादी के वकील वर्तमान मामले में समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि इन मामलों और वर्तमान मामले की तथ्यात्मक स्थिति अलग है।"

बी.

सी.

डी.

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अभियोग की अस्वीकृति के लिए सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत अपने आवेदन को खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक नागरिक संशोधन आवेदन No.76/2016 के माध्यम से उच्च न्यायालय के

समक्ष मामला उठाया।उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 (प्रत्यर्थी संख्या 5) द्वारा दायर सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत आवेदन को स्वीकार कर लिया और इस निष्कर्ष पर विचारण न्यायालय के फैसले को उलट दिया कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित था।इस प्रकार अभिनिर्धारित करने के लिए, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में इस प्रकार टिप्पणी कीः

ई.

एफ.

“18. यह न्यायालय नोटिस करता है कि वादी बहनें हैं और वर्ष 2013 के मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने लिखित बयान दायर नहीं करने का फैसला किया है।अतः मूल प्रतिवादी संख्या 1 और 2, जो विक्रेता हैं, ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है।इस बात की प्रबल संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वादी ने पंजीकृत बिक्री विलेख के लगभग 20 वर्षों के बाद एक सांठगांठ वाला मुकदमा लाने का विकल्प चुना है।यह सच है कि सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन पर विचार करने के चरण में केवल शिकायत के विवरण की जांच की जाएगी। अभियोग के नंगे पढ़ने से, यह स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि

जी.

एच.

पंजीकृत बिक्री विलेख वर्ष 1996 में लागू किया गया है जहां वादी ने उसी दस्तावेज में गवाह के रूप में अपने अंगूठे की छाप लगाई है और इसे वर्ष 2013 में चुनौती दी गई थी।इसका कारण बहुत दूर नहीं है।गुजरात राज्य में भूमि की कीमत में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ, परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा इस तरह के मुकदमे अन्य बेईमान तत्वों द्वारा प्रायोजित मुकदमे हैं जो अक्सर शुरू किए जाते हैं।इसे तैयार करना और खरीदारों के कई समीकरणों को परेशान करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जिन्होंने कई वर्षों से स्वामित्व और शांतिपूर्ण कब्जे का आनंद लिया है।पंजीकृत बिक्री विलेख पर इस आधार पर सवाल उठाने का प्रयास किया जाता है कि ये पैतृक संपत्ति थी और 7/12 प्रपत्र में संशोधनवादी और अन्य प्रतिवादियों का नाम दर्शाया गया था।वर्ष 1997 में संशोधनवादी और अन्य प्रतिवादियों के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख के तुरंत बाद राजस्व प्रविष्टि को भी परिवर्तित कर दिया गया है।गाँव के रूप का उत्परिवर्तन क्रम 21 जनवरी, 1997 को इस तरह के पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर प्रभावी किया गया है।जिसकी प्रति 31 मार्च, 1997 को जारी की गई है।इस तरह की अकथनीय देरी के लिए वादी को दस्तावेजों की पुष्टि करते हुए रिकॉर्ड पर लाना चाहिए था।हालांकि, जो दस्तावेज लाए गए हैं, वे यह भी बताते

हैं कि वादी का मुकदमा तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद पेश किए जाने के लिए सीमा कानून द्वारा वर्जित है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम के दौरान भी, जब राजस्व प्राधिकरण ने वर्तमान संशोधनवादी और अन्य उत्तरदाताओं के नामों में बदलाव किया, तो कोई आपत्ति नहीं उठाई गई और लगभग 18 वर्षों के बाद ऐसी आपत्तियां सामने आई हैं।"

बी.

सी.

डी.

ई.

8. उच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय अपीलार्थियों (वादियों) के कहने पर इस अपील का विषय है।अपीलार्थियों के अनुसार, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य से विचलित होकर स्पष्ट त्रुटि की कि मुकदमा लगभग 17 वर्षों के बाद दायर किया गया था।यह सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (डी) के संदर्भ में वाद की अस्वीकृति के लिए आवेदन की जांच करने के लिए सीमा स्तर पर विचार के सीमित क्षेत्र के अनुरूप नहीं बल्कि मान्यताओं और अनुमानों के आधार पर आगे बढ़ा है। इसने वाद में प्रासंगिक कथनों का विश्लेषण करने की भी जहमत नहीं उठाई है, जिसे अच्छी तरह से तय किया गया है, इसे समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए कारणों को भी स्वीकार नहीं किया है कि मुकदमे के तथ्य को सीमा द्वारा वर्जित किया जाना वर्तमान मामले के तथ्यों में एक परीक्षण योग्य मुद्दा था।

एफ.

जी.

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों का तर्क होगा कि उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार में कोई दुर्बलता नहीं है और ए

एच.

431

चोतानबेन और ए. एन. आर. बनाम.किरीटभाई जलक्रुष्णाभाई ठाकर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

संभावित दृष्टिकोण इस तथ्य के साथ कि अपीलार्थियों द्वारा दायर किया गया मुकदमा एक सांठगांठ वाला मुकदमा प्रतीत होता है, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाताओं के अनुसार, यह संभावना नहीं है कि अपीलार्थियों जो मूल प्रतिवादी Nos.1 और 2 की बहनें हैं, उन्हें पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से किए गए लेनदेन के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी और विशेष रूप से जब प्रतिवादी

Nos.3 से 6 तक इतने लंबे समय तक भूमि के कब्जे में थे, जो तथ्य 1997 में दर्ज की गई उत्परिवर्तन प्रविष्टियों से और भूमि को कृषि से गैर-कृषि उपयोग में परिवर्तित करने सहित पुष्ट होता है।प्रतिवादियों के अनुसार, इस अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

बी.

सी.

10. हमने अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्विश जितेंद्र मलकान और प्रतियोगी उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल को सुना है।

11. वादपत्र में किए गए कथनों और विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए कारणों पर विचार करने के बाद, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए इस विचार को उलटने में स्पष्ट त्रुटि की है कि वाद के तथ्य को सीमा द्वारा वर्जित किया जाना, वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति में एक विचारणीय मुद्दा था। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अपीलार्थियों (वादी) ने जोर देकर कहा है कि 2013 तक उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति के संबंध में पंजीकृत बिक्री विलेख के निष्पादन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।इसके अलावा, उन्होंने पंजीकृत बिक्री विलेख पर अंगूठे के छाप को अपना होने से इनकार किया है और जालसाजी और प्रतिरूपण का आरोप लगाया है।वाद और दावा किए गए राहतों में किए गए कथनों की समग्रता के संदर्भ में, अनुच्छेद 56,58,59,65 या 110 या सीमा अधिनियम के किसी अन्य अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होगा, इस पर उचित स्तर पर विचार किया जा सकता है।

डी.

ई.

एफ.

12. आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत आवेदन के संदर्भ में मुद्दे में मामले का जवाब देने के लिए जो प्रासंगिक है, वह है वाद में किए गए कथनों की जांच करना।शिकायत को समग्र रूप से पढ़ने की आवश्यकता है।प्रतिवादियों के लिए उपलब्ध बचाव या लिखित बयान में उनके द्वारा ली गई याचिका या उनके द्वारा दायर कोई भी आवेदन, आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत आवेदन पर निर्णय लेने का आधार नहीं हो सकता है।केवल वाद में दिए गए कथन स्पष्ट हैं।यह सामान्य आधार है कि पंजीकृत बिक्री विलेख 18 अक्टूबर, 1996 का है।पंजीकृत बिक्री विलेख को चुनौती देने की सीमा आम तौर पर उस तारीख से चलनी शुरू हो जाएगी जिस दिन बिक्री विलेख होता है।

जी.

एच.

पंजीकृत किया गया।हालाँकि, अपीलार्थियों (वादी) का विशिष्ट मामला यह है कि 2013 तक उन्हें अपने भाइयों-मूल प्रतिवादी Nos.1 और 2, जयकृष्णभाई प्रभुदास ठक्कर या प्रतिवादी Nos.3 से 6 के पक्ष में इस तरह के बिक्री विलेख के निष्पादन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।उन्होंने उस जानकारी को 26.12.2012 पर प्राप्त किया और तुरंत पंजीकृत बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए कदम उठाए और इसकी प्राप्ति पर उन्हें अपने भाइयों द्वारा पैतृक संपत्ति के संबंध में उनके साथ की गई धोखाधड़ी का एहसास हुआ और मुकदमा दायर करने से दो दिन पहले उन्होंने अपने भाइयों (मूल प्रतिवादी Nos.1 &2) उनसे अपने कब्जे में हस्तक्षेप करना बंद करने और संपत्ति का विभाजन करने और अपने हिस्से के लिए इस तरह से निर्दिष्ट भूमि के आधे (आधा) हिस्से पर विशेष कब्जा प्रदान करने का आह्वान किया।हालाँकि, जब उन्हें एहसास हुआ कि मूल प्रतिवादी Nos.1 और 2 उनके अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं देंगे, तो उनके पास न्यायालय से संपर्क करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था और उन्होंने दो दिनों के भीतर विषय मुकदमा दायर कर दिया।अपीलार्थियों के अनुसार, पंजीकृत बिक्री विलेख के निष्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद समय के भीतर मुकदमा दायर किया गया है।इस संदर्भ में, विचारण न्यायालय ने राय दी कि यह एक विचारणीय मुद्दा था और आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत वाद की अस्वीकृति के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 (प्रत्यर्थी संख्या 5) द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।यह दृष्टिकोण हमारी सराहना करता है।13. दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने अनुमानों और अनुमानों के आधार पर मामले पर विचार किया है और शिकायत में कथनों का विश्लेषण करने की भी जहमत नहीं उठाई है, हालांकि उसने 19 पैराग्राफ में एक बोलने वाला आदेश पारित किया है।इसने एक पैराग्राफ में इस मुद्दे का जवाब देने का प्रयास किया है जिसे अब तक (पैराग्राफ 7 में) पुनः प्रस्तुत किया गया है।दूसरी ओर, विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण तय किए गए कानूनी प्रावधानों के अनुरूप था।

बी.

सी.

डी.

ई.

सलीम भाई और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 1, मायार (एच. के.) लिमिटेड और अन्य बनाम मालिक और पक्ष, पोत एम. वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस और अन्य 2 और टी. अरिवंदम बनाम टी. वी. सत्यपाल और अन्य 3.

एफ.

14. इन निर्णयों को चर्च के मामले में नोट किया गया है

क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम।

जी.

पोन्नियम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट, 4 जहाँ इस न्यायालय ने पैराग्राफ 11 में इस प्रकार टिप्पणी कीः

1 (2003) 1 एससीसी 557 2 (2006) 3 एससीसी 100 3 (1977) 4 एससीसी 467 4 (2012) 8 एससीसी 706 ए

एच.

433

चोतानबेन और ए. एन. आर. बनाम.किरीटभाई जलक्रुष्णाभाई ठाकर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

“11. इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में समझाया गया था, जिसमें संहिता के आदेश 7 नियम 11 पर विचार करते हुए इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः(एस. सी. सी. पी. 560, पैरा 9) "9. आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित तथ्य जिन पर उसके तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए गौर करने की आवश्यकता है, वे वाद के कथन हैं।निचली विचारण न्यायालय मुकदमे के किसी भी चरण में आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकती है-शिकायत दर्ज करने से पहले या मुकदमे के समापन से पहले किसी भी समय प्रतिवादी को समन जारी करने के बाद।आदेश 7 सी. पी. सी. के नियम 11 के खंड (ए) और (डी) के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए, वाद में कथन स्पष्ट हैं; लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा ली गई दलीलें उस स्तर पर पूरी तरह से अप्रासंगिक होंगी, इसलिए, आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन पर निर्णय लिए बिना लिखित बयान दायर करने का निर्देश निचली विचारण न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को छूते हुए प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं हो सकती है।”

बी.

सी.

डी.

यह स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 11 पर विचार करने के लिए, विचारण न्यायालय को वाद में दिए गए कथनों पर गौर करना होगा और मुकदमे के किसी भी चरण में निचली विचारण न्यायालय द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है।यह भी स्पष्ट है कि लिखित कथन में किए गए

कथन महत्वहीन हैं और वाद में किए गए कथन/याचिकाओं की जांच करना न्यायालय का कर्तव्य है।दूसरे शब्दों में, इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेने में जिस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है वाद में किए गए कथन।उस स्तर पर, लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा की गई दलीलें पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और मामले का निर्णय केवल वादी के कथनों पर किया जाना है।राप्टकोस में इन सिद्धांतों को दोहराया गया है।

ई.

एफ.

ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड बनामगणेश संपत्ति और मायार (एच. के.) लिमिटेड वी.पोत एम. वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस।"

15. उच्च न्यायालय ने चर्च ऑफ क्राइस्ट के मामले को स्वीकार कर लिया है

चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी (ऊपर), जो

उच्च न्यायालय द्वारा एक प्रतिवादी के खिलाफ आंशिक रूप से वाद की अस्वीकृति का आदेश देने में लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर विचार करने का अवसर था, इस आधार पर कि उसने उस प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया था।उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया है कि चुनाव लड़ने वाले द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है

जी.

मयूर (एच. के.) के मामले में प्रतिवादी लिमिटेड और ओ. आर. एस. (ऊपर), जो

सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत वाद को अस्वीकार करने के लिए न्यायालय की शक्ति के दायरे के बारे में तय कानूनी स्थिति को दोहराया है।

एच.

16. वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि अपीलार्थियों (वादियों) ने दावा किया है कि मूल प्रतिवादी द्वारा निष्पादित धोखाधड़ी बिक्री विलेख के बारे में जानकारी प्राप्त करने के तुरंत बाद मुकदमा दायर किया गया था, उन्हें इस तरह के निष्पादन के बारे में अंधेरे में रखते हुए और मूल प्रतिवादी द्वारा इनकार करने के दो दिनों के भीतर अपीलार्थियों की पैतृक संपत्ति के उपयोग और कब्जे के शांतिपूर्ण आनंद में बाधा डालने से बचने के लिए।हम विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए

इस विचार की पुष्टि करते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों में सीमा द्वारा वर्जित किए जाने वाले वाद के संबंध में मुद्दा एक विचारणीय मुद्दा है और इस कारण से आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए वाद को खारिज नहीं किया जा सकता है।

बी.

सी.

17. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, हमें उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को उलटने और आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 (प्रत्यर्थी संख्या 5) द्वारा दायर आवेदन (Exh.21) को खारिज करने वाले विचारण न्यायालय के आदेश को बहाल करने में कोई संकोच नहीं है।नतीजतन, कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए वाद को चौथे अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश, आनंद की फाइल पर अपने मूल नंबर पर बहाल कर दिया जाएगा।हम यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि विचारण न्यायालय 20 जनवरी, 2016 के नीचे पारित आदेश को प्रभावी बनाएगी, जिसे उपरोक्त पैराग्राफ 5 में पुनः प्रस्तुत किया गया है, और इसे अपने तार्किक अंत तक ले जाएगी, यदि किसी भी प्रतिवादी के कहने पर इसे चुनौती नहीं दी गई है।इसके अधीन, उक्त आदेश को कानून के अनुसार उसके तार्किक अंत तक ले जाया जाना चाहिए।

डी.

ई.

18. तदनुसार, यह अपील सफल होती है और उपरोक्त शर्तों में इसकी अनुमति दी जाती है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

एफ.

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील की अनुमति दी गई।

जी.

एच.